

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक

राजेश मिंज वगै०

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

बनाम

हिण्डालको इंडस्ट्रीज ली०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :-22/2021-22

वाद का प्रकार :- अनुमति वाद (Permission)

- आवेदक 1. राजेश मिंज पिता-स्व० बुचू मिंज
 2 विजय उरॉव
 3 मनी राम उरॉव
 4 धनी राम उरॉव पति-स्व० एतवा उरॉव
 5 चैतु उरॉव पिता-स्व० मनीचर उरॉव
 6 मूनेश्वर भगत
 7 परमेश्वर उरॉव पिता-स्व० झिरगा उरॉव
 8 सोमा उरॉव पिता-स्व० खैवु उरॉव
 9 पितरुस उरॉव
 10 अघनु उरॉव पिता-लंगू उरॉव
 11 अनिल उरॉव
 12 कामिल उरॉव पिता-लक्षुमण उरॉव
 13 महरंग उरॉव
 14 गोवर्धन उरॉव पिता-स्व० विजु उरॉव

सभी ग्राम- गरहा कुजाम थाना- विशुनपुर जिला-गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 49 के अंतर्गत अपने स्वामित्व के निम्नांकित भूमि को हिण्डालको इंडस्ट्रीज ली० लोहरदगा जिला- लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षों की लीज में देने के लिये अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया है :-

क्र०	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)
1.	कुजाम	42	42	1116	2.10
				1118	1.27
				1119	5.06
				1125	0.13
	कुल			04	8.56

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी विशुनपुर से स्थलीय जांच कर तीन बिन्दुओ पर प्रतिवेदन की माँग की गई, जो निम्नवत है:-

- 1 अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बॉक्ससाईड खनन क्षेत्र के अगल बगल के रैयत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे।


2 खनन हेतु प्रस्तावित भूमि के चौहदीदारों का कोई लिखित आपत्ति प्राप्त नहीं है, परन्तु उनका NOC भी प्राप्त नहीं है।


3 कम्पनी के द्वारा जहाँ खनन का कार्य किया जाएगा वहाँ कम्पनी के द्वारा किसी प्रकार का सामुदायिक हित में Noble Work करने का कोई प्रस्ताव अंचल कार्यालय को प्राप्त नहीं है।

अंचल अधिकारी विशुनपुर के द्वारा स्पष्ट मंतव्य दिया गया है कि उपरोक्त खाता की जमाबंदी में प्लॉट दर्ज नहीं है। उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर बटवारे से संबंधित दस्तावेज की मांग आवेदकगण से की गई परन्तु आवेदकों के द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। अंचल अधिकारी विशुनपुर के द्वारा उपरोक्त परिपेक्ष्य में लीज अनुमति नहीं देने की अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी विशुनपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमति वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
गुमला


उपायुक्त,
गुमला